

go into the details of the other proposals that have been brought in and to bring in the Winter Session.

So far as the Long-Term Fiscal Policy which has been laid down is concerned, many points have come, as I said last time during the Budget discussion, and, in fact, many points are still pouring in and some of the assesses and some associations have sent us points and we have kept ourselves open to consider them and also the suggestions of the Honourable Members. We are still open and still there is time. If any honourable has got any other suggestion, we are certainly willing to look into those suggestions so that, when the final shape is given, it touches all the point as far as possible.

With regard to the question whether it should be brought in the Winter Session or in the Budget Session for the purpose of convenience, as pointed out by the veteran Honourable Member, I shall certainly take note of it and discuss it with the Finance Minister what the repercussions are that will be caused if we bring it during the Winter Session or whether should be done during the Budget Session. This is certainly a point to be looked into and we will go into this.

On the question of six months, so far as the repeal of the previous Act is concerned, Desaiji has commented. Again, as earlier, various suggestions are coming in and as stated by the then Finance Minister—still I am also stating—this being a fiscal statement and being a matter on which we want to hear as much as possible and as many people as possible, we have not kept ourselves closed. Even last week many people came and while coming for their individual cases, they are discussing this and give us points. Therefore, this is time-consuming and it is taking time. Even though this takes time, there are all matters where detailed consideration is to be given as far as possible by the Government and that is why I have made the statement that so far as this question is concerned, we could not do it.

I repeat and I want to assure the House that the question of any big monopoly house interfering with us does not arise. We are looking into the small partnership firms which are giving their versions and we are looking into the versions of the other people, who are salaried people and who make representations. Those are being considered. Thank you, Madam.

FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 1987

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI):

Madam, I beg to move :

"That the Bill to amend the Forest (Conservation) Act, 1980, be taken into consideration."

As the Honourable Members are aware, the Forest (Conservation) Act, 1980 was passed at the initiative of our former Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, after the enormous deforestation which had occurred in our country due to various factors had been noticed.

(THE Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair)

About 45 million hectares were lost between 1951-52 and 1979-80. The State Governments could not exercise control over such diversion of forest lands for non-forest purposes. The extensive diversion had a great adverse effect on the environment in our country, causing soil erosion, silting of reservoirs, lakes, rivers, channels, etc. and recurrence of floods and drought. In addition, the rural poor are affected as their biomass needs become enormous.

The Forest Conservation Act, 1980, has a very salutary effect on the rate of development of forest lands for non-forest purposes. The annual diversion came down to 15000 hectares from 1.5 hectares prior to the coming into force of this Act. Guidelines have been issued from time to time for the implementation of this Act. But some lacunae have come to our notice during the last 8 years. Some attempts

have been made to divert forests for creation of commercial plantation on the plea that these plantations also can discharge the functions of natural forests. This plea is not correct. Certain requests have also come to the Central Government to allow diversion of forest land to non-governmental organisations, corporations, etc. with justification that these non-governmental organisations would plant the very species in these lands and hence such use would not amount to diversion of land from forests. Sir certain doubts also arose whether the use of forest land meant for purposes such as establishment of check-posts which are ancillary to the forest conservation would amount to diversion of forest land. One of the weaknesses frequently pointed out in the Forest Conservation Act, 1980, is the absence of a penal provision in the Act. In order to remove the lacunae in the Act the Government have examined in depth the various issues. The present amending Bill has been brought before the House to strengthen the Forest (Conservation) Act, 1980. The object of the Bill is laudable. And I solicit the support of the hon. Members in passing this Bill. I am confident that the Government would be able to protect forests more effectively with the help of the proposed amending Bill.

The question was proposed.

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Forest (Conservation) Amendment Bill 1987, which has been brought by the hon. Minister of Environment and Forests for its consideration.

Sir, at the very outset I would like to mention in this House that a very unfortunate controversy has arisen in this country by the so-called environmentalists. They have raised a hue and cry in the name of protection and conservation of environment and they have started a vilifying campaign against some State Governments in the name of preserving the national wealth, the forests of this country. I would like to draw particularly the atten-

tion of the hon. Minister to such a campaign against a very good measure, multi-purpose irrigation project called the Narmada Sardar Sarovar Project, which is going to benefit not only the State of Gujarat but also the riparian States like Maharashtra, Rajasthan and Madhya Pradesh.

Sir, in the name of protection of forests, in the name of preserving environment, is the development of this country going to be stopped? Therefore, this is the opportunity in the House to make one thing very clear, that we want both—development of this country and environmental protection. Both will go together. Therefore, I would like the hon. Minister to categorically state that the Government of India will not come in the way of positive development in the States.

Sir, another thing that I would like to mention here is that the studies carried by the National Remote Sensing Agency through satellite imagery have shown that the average annual rate of depletion of forest cover during the period 1972 to 1975 and 1980 to 1982 was approximately 1.3 million hectares. What action has the Government taken? However, no study has been conducted to assess the denudation of forests during the last three years. I would like to know from the hon. Minister as to what has prevented the Government to assess the denudation of forests in the last three years and why has it been stopped.

Sir, the second point that I would like to mention here is that the Government has stated in the House that no target has been fixed for reserved forests, protected forests and unclassified forests in the 7th Five Year Plan. But, in the same answer, the Government has stated that a total afforestation target of 10 million hectares was fixed for the 7th Five Year Plan, and the reported achievement of afforestation for the first three years of the 7th Plan is about 5.04 million hectares. I would like to know, therefore, why is this contradiction in the Government's statement that no target has been fixed for three categories

[Shri Raof Valiullah (Gujarat)]

ries of forests and in the same breath it says that so far in the first three years of the 7th Five Year Plan, about 5 million hectares have been afforested. I would also like to know from the hon. Minister as to what is the present position, and whether the target fixed for the 7th Five Year Plan will be completed.

Sir, efforts are being made to conserve and protect forests and to bring additional area under green cover through a massive afforestation programme. I would like to know from the hon. Minister whether he has come across an answer, not from him but from some other Minister, giving the figures of the last three years Statewise where I found that no efforts have been made by the State Governments to augment the green cover area. The figures themselves reveal that there is hardly any difference between the figures of 1982-83 and 1985-86. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what are the schemes, what are the incentives and what are the deterrents that the Union Government proposed in this direction so that green cover area is increased in the country. Sir, it has also been mentioned by the hon. Minister that some cases where difficulties were experienced in the implementation of the developmental works in the tribal areas due to delays in obtaining the clearance under the Forest Conservation Act, 1980, have come to the notice of the Government. In such cases, the delay has been occasioned mainly due to the non-furnishing of the required information in a complete form in the first instance. And detailed guidelines have been issued to facilitate furnishing of all requisite information so as to facilitate speedy decisions. Here, Sir, I would like to mention that the Government of Gujarat, for instance, has sent a proposal to release forest land for 73 minor irrigation schemes of tribal areas of Gujarat and all these schemes are pending before the Government of India. The Ministry of Forests and Environment has not given clearance for these schemes since the 6th of November, 1986. About 12,317 hectares of land would be irrigated and 4,559 tribal families would be benefited if these schemes

are implemented. Sir, a number of times the Government of Gujarat has sent letters, has reminded the Government of India, but no clearance has been given so far. In fact, the Chief Minister himself has intervened and very recently he has given a statement in Ahmedabad that he has personally requested the hon. Minister to give clearance for these schemes. I would like to know what is the latest position with regard to these 73 minor irrigation schemes and how many schemes for which the details were sought by the Union Government, for how many such schemes the information has come from the Government of Gujarat.

Sir, a very important aspect of this Bill is that the Central Board of Forestry in its 22nd meeting held in December 1987 unanimously adopted a Resolution. That Resolution stated that for conservation of forests, the extraction of wood from forests must be stopped. Now this Resolution was adopted in 1987. Nothing was done and the result was that very recently an organisation went to the High Court of Gujarat and it is to be noted that the High Court of Gujarat has given an interim injunction, a stay order, against the poor adivasis who fell trees for fuel. But the *modus operandi* is different. The High Court was surprised to find out that it is not the poor adivasis who do that. There are contractors who lure the adivasis to fell trees and when the adivasis are caught the contractors pay the fine on their behalf. There is a gang of contractors which is working like this. And therefore the High Court of Gujarat gave a stay order. Of course, it is a temporary stay order. Only last week has the Union Government come to know of it. And what positive steps are the Union Government and the State Government going to take when these contractors exploit the poor adivasis and exploit our national wealth? (*Interruptions*). I told you the *modus operandi*. The poor adivasis go and fell the trees for their fuel and when they are caught, the contractors pay the fine. But the wood is taken away by the contractors and sold at a premium. The High Court

has come down heavily on the Government. I would like the hon. Minister to explain to us what positive measures are being taken against such people.

Sir, another aspect that I want to mention...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Now, the last point.

SHRI RAOOF VALIULLAH : One very important point was that it was agreed that the reduction in State revenues as a result of all these losses will be compensated. The quantum of compensation was to be determined by the Finance Commission. Now these recommendations have been conveyed to the State Government and the details regarding the losses of revenue that would accrue have also been sought from them and the matter regarding compensation has been taken up with the Finance Commission by the Ministry of Environment and Forests.

Now, the first report of the Ninth Finance Commission has already been placed before both Houses of Parliament. I would like to know from the hon. Minister the quantum of compensation paid to each state and whether this particular issue was taken up and does it figure in the recommendations of the Finance Commission.

Sir, I would not like to go into details of the Bill because it is a small Bill, an amendment Bill, and since this opportunity has been given to the House to discuss it, I have made certain suggestions and I would like to have the reaction of the hon. Minister when he replies to the debate. Thank you.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan) : Sir, I rise to support The Forest (Conservation) Amendment Bill, 1987.

The objects and reasons mentioned in the Bill are quite valid in the present circumstances, even if it is quite late now; probably it should have come long before. Sir, plenty of land is now under non-forest use. I don't think under any circumstances we can get back those lands which really belong to the forests. There

is no doubt that importance of forests for environmental purposes is great all over the world. In fact, the environmentalists said that our continuous drought in the country over the last few years was due to less area under forests.

I would like to caution the Minister that lot of land is reserved for forests but on those lands there are no trees. These have been just reserved. In the process, those lands are neither used for forests nor for any useful purpose, especially in Rajasthan State, because all over the country there is a move for improvement in environment. So, they just acquire lands and reserve them, with no trees at all. I request the hon. Minister to look into this aspect and see that such lands are not left unused, because that is our national wealth.

To the best of my information, the subject on forests is in the Concurrent List in the Constitution. Therefore, I don't know how the Central Government can really enforce it or manage with Congress or non-Congress Governments where the State Governments for various reasons give those forest lands to develop cash crops so that they can raise their resources and also employment opportunities. Even now, I have definite information, in a number of States like West Bengal, Kerala and some other States, lands are just being given for cash crops to a number of multinational and MRTP companies. I fully agree with my colleague, Mr. Valiullah when he says that in the name of environment, our development in the country is completely stopped. I am using the word 'stopped' because I know for certain, as I already said, there are a number of places in Rajasthan particularly where there is no forest but the industrialists or the entrepreneurs are not allowed to use these lands and they are running from one place to another and as a result, corruption is coming up heavily in these departments because these things are cleared only if the people in charge are kept satisfied by other means. This point must be taken seriously; and I think country's development will not be jeopardised in the name of environment.

1. P.M. :—

Coming to penalty, in clause 3A, fifteen days imprisonment provided for is very negligible. The hon. Minister should look into this and see that this is made more stringent and deterrent.

I must compliment the hon. Minister on clause 3B where even the Government departments, heads of departments and even officers, have been included. If they are found guilty under this Act, they will also be penalized. I very much compliment the Government for making this provision. Our Prime Minister has expressed the view that even the Government officers must be accountable. I think this policy of the Prime Minister is fully reflected in this Bill where the officers will have to be very careful. They cannot violate the law and get away with it.

With these words, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.

श्री नरेश सो० पुगलिया (महाराष्ट्र) :

उपसभाध्यक्ष महोदय वनमंत्री जी फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 में जो अर्नेडमेंट लाये है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 1980 में जब यह फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट लगा, उस समय एक्ट लगाने की क्या वजह थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उस समय की हमारी नेता, इस देश की प्रधान मंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने जब देखा कि देश में वन सम्पत्ति का नाश बड़े पैमाने पर हो रहा है, वनों की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है और इस वजह से देश में पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है और इसको रोकने में जब तक केन्द्र सरकार कई कठोर कदम नहीं उठाती है तब तक हम इसे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि राज्यों को बार बार तकीद देने के बावजूद भी किसी राज्य ने इसको सीरियसली नहीं लिया था और

जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई होने लगी थी इसलिए 1980 में इस देश की नेता स्वर्गीय इंदिरा जी इस एक्ट को लायी थीं और आज उस एक्ट में जो भी लैकनाज हैं जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए वन मंत्री जी यह अर्नेडमेंट लाये हैं जिसका मैं स्वागत करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र से हो आया जानता है कि भरे जिले चन्द्रपुर गडचिरोली में वर्ल्ड में सेकेण्ड नम्बर का सबसे अच्छा टीक वुड होता है इंडिया में सबसे अच्छा फारेस्ट हमारे एरिया में है। लेकिन एक तरफ वन सम्पत्ति

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मैं आपके साथ जंगल में गया था।

श्री नरेश सो० पुगलिया : तो उपसभाध्यक्ष महोदय एक एक्ट के कारण वन सम्पत्ति की रक्षा जिन जिन जिलों या प्रान्तों में हुई है उनके विकास का काम ठप्प हो गया है। हमारे साथी बलीउल्लाह और बागरोडिया जी ने भी यही कहा और हम भी जानते हैं कि हम जो फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट लाये हैं यह वन सम्पत्ति की रक्षा के लिए लाए हैं लेकिन डेवलपमेंट को रोकने के लिए नहीं लाये हैं। अगर इस एक्ट का उपयोग वहाँ के विकास के प्रोजेक्ट्स जैसे इरीगेशन, रोड्स इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे अन्य डेवलपमेंट के कामों के रोकने में किया जाता है फारेस्ट कन्जर्वेशन के नाम पर या राज्य सरकारें इस सिलसिले में उनके साथ सन्धाय करती है तो इस एक्ट का सही मानों में उपयोग किया गया ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

मैं वन मंत्री जी को यह उदाहरण देना चाहता हूँ। देश में हम जानते हैं कि जय तक हमारी जो पूरी जमीन है उसके 1/3 में फारेस्ट नहीं होंगे तो देश की हालात खराब हो सकती है, पर्यावरण की समस्या बिगड़ सकती है। आपके आंकड़ों के हिसाब से, जो फारेस्ट्स के संबंध में हैं, हमारे देश में 22 परसेंट वन उपलब्ध हैं वन जमीन उपलब्ध है उस पर वन है लेकिन आज सही मानों में 10 और 11 परसेंट से ज्यादा हमारे यहां वन उपलब्ध नहीं हैं। हमारा एरिया सर्वे हो चुका है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि वनों की जो कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार और आपका डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। लेकिन यहां पर पहले तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिन जिलों, प्रांतों ने वनों की रक्षा की है आपका डिपार्टमेंट वहां के डेवलपमेंट के सिलसिले में इस फारेस्ट कारवेशन एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है। राज्यों से इरिगेशन आदि के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको 10-10 बार वापस भेज देते हैं। यह कहां का तरीका है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चन्द्रपुर गडचिरोली जिले में 1980 के बाद एक भी नया इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं आया है। हमारे यहां नदी नालों की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक्ट का दुरुपयोग करके, क्योंकि राज्य के कुछ नेता ऐसा चाहते हैं कि इस जिले का पैसा बच जाए, तो दूसरे जिले में, दूसरे विभाग में लगा देंगे। तो विदर्भ जो

हमारा एरिया है जहां से हम पाते हैं, जहां पानी की कोई कमी नहीं है, जिस विदर्भ ने फारेस्ट की रक्षा की है वही तादद में जहां फारेस्ट है, उसके अन्दर हमारा डिवेलपमेंट वर्क रुक गया है और रुका किसलिए है कि वहां के अधिकारी और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि फारेस्ट कांजर्वेशन एक्ट है, आपके यहां तो इतना जंगल है, हम तो कोई डिवेलपमेंट नहीं कर सकते।

मैं वन मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपका एक्ट इसलिए आया है ताकि जिन्होंने वनों की रक्षा की है उनका आप हर समय के लिए नुकसान कर दें। अगर हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, हमारे किसान भाई दो या तीन फसल आर नहीं लेते हैं, उनकी इकनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो वह कहते हैं कि ऐसे एक्ट की हमें क्या जरूरत है। मेरा आदिवासी एरिया है हमारे आदिवासी भाइयों के पास कई प्रकार की जमीन है। उन्होंने 1980 के पहले हो सकता है कि फारेस्ट की जमीन पर कब्जा कर के 20-20, 30-30 साल से वह खेती कर रहे थे लेकिन उसका पट्टा नहीं मिला था। आपकी राज्य सरकार के डिपार्टमेंट के अधिकारी उनको सतते हैं, उनको जेलों में बंद करते हैं, आदिवासियों को जमीन से वंचित करने की कोशिश करते हैं।

मैं मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा जिन आदिवासी भाइयों के पास, शोषित, पीड़ित जनता के पास किसानों के पास 1980 से पहले, दस, बीस या पचास साल से अगर वन डिपार्टमेंट की जमीन है, उसका आफिशल तौर पर अगर उसको पट्टा नहीं मिला है, तो ऐसे

[श्री नरेश सी० पुगलियन]

अदिवासी भाइयों को जिनके पास 1980 से पहले जमीन है, उनकी जमीन का पट्टा उन्हें देना चाहिए। यह एक्ट उनके बीच में नहीं आना चाहिए।

दूसरी बात में यह कहना चाहूंगा कि विदर्भ के अंदर हमारे जिलों भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं और खात करके उत्तमाध्यज, जो, अपनी इतनी जानकारी है कि 1980 तक जितने बड़े प्रोजेक्ट्स में, जैसे तुलुली प्रोजेक्ट है—वह तीस करोड़ का प्रोजेक्ट है और हमने बीस करोड़ लाना दिया। ऐसे ही हुनन का प्रोजेक्ट पचास करोड़ का है और हमने बीस करोड़ का खर्चा कर दिया है। इस प्रकार से ऐसे कई भोजार और मोडियन प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर राज्य सरकार ने खोजगार से भी ज्यादा या आगे से भी ज्यादा काम कर दिया है, लेकिन एक्ट आने के बाद काम रुक गया है और वहां की जाता नेताओं की कांग्रेस की सरकार को दोष देती है कि हमारे यहां इतना बड़ा डैम आ रहा था, इरिगेशन की फैसिल्टी हो रही थी, आपने इसे रोक दिया है। राज्य सरकार के अधिकारों अगर यहां कोई प्रोजेक्ट भेजते हैं, तो वन मंत्री जो केन्द्र के अंदर जितना प्लान से उनकी सहायता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिलता है। उनके प्रोजेक्ट के अंदर पचास बार आप क्वेरीज निकालते हैं।

आपके इस एक्ट का हमने स्वागत किया है। हम भी जानते हैं कि वन सम्पत्ति को हमें रक्षा करनी है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप हमारा डिजेलमैट वर्क रोक दें। मैं वन मंत्री जो से बिनती कहना कि महाराष्ट्र में ही नहीं विदर्भ में ही नहीं, भरे जिले में ही नहीं,

लेकिन हर प्रांत के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को खजुर से जिनके भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स या दूसरे प्रोजेक्ट्स रुके हैं, उनके अंदर आप एक नियम बना दें कि राज्य सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट हमारे पास भेजता है, तो तो महीने के अंदर सेंटर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उस पर निर्णय लेना चाहिए और आप क्वेरीज एक नहीं, पचास क्वेरीज आप निकाल लीजिए, अपने डिपार्टमेंट में समाधान कर लीजिए, लेकिन एक बार। पचास बार आप प्रोजेक्ट प्रांतों में जमा भेजते हैं, वहां से दिल्ली आती हैं और वहां से फिर अपने राज्य में जाती हैं, यह तमाशा किस बात का है? आपने कंजर्वेशन एक्ट क्या इसलिए लाया है कि हमारा डिपार्टमेंट वहां रुक जाए?

मैं जानते बिनती करता हूं कि वन मंत्रालय का कानून जितना परिष्कार में, जितनी तेजी से जितने दिक्कतों से होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। बिनती भी प्रोजेक्ट आते हैं, आपने मेरी बिनती है कि राज्य स्तर पर हर प्रांत को आप सूचना दें, राज्य स्तर पर आप खुद जाकर के, दौरा करके जायें भी उनका मंत्रालय है, स्टेट का हेडक्वार्टर है, वहां जाकर वन अधिकारियों के साथ, मुख्य मंत्री के साथ आप सेक्रेटरी को साथ में लेकर चर्चा कीजिए और स्टाट डिप्लोमन लीजिए क्योंकि आपका कानून, 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वह इतना अच्छा है। इन्होंने इस एक्ट में प्रोजेक्ट किया है—हम अगर वन की जमीन, माल लो पांच सौ एकड़ लेते हैं और उसके बदले में उतनी ही रेडुनी की जमीन अगर दे देते हैं और उस पर नया जंगल लगाने के लिए, एकोर-स्टेशन के लिए हम पैसे का, बजट

प्रोवीजन अगर करते हैं, तो आपका यह एक उसके आड़े नहीं आता है। आपने जब इसमें प्रोवीजन की है, तो इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? इसमें केन्द्र सरकार और फारेस्ट डिपार्टमेंट उन राज्यों को क्यों सताता है?

मेरी आपसे विनती है कि राज्य से यदि कोई भी डिवेलपमेंट वर्क की प्रॉपोजन आती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसे तीन महीने के अंदर सेंटर को—यह भी उसमें अमेंडमेंट लाइए कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है और तीन महीने से अगर ज्यादा होता है, तो उसको मंजूरी है, ऐसा समझ कर वह राज्य काम कर सकता है। या तो फिर आप स्टेट लेवल पर उसका टूर करके, वहां चीफ मिनिस्टर फारेस्ट, मिनिस्टर और फारेस्ट सेक्रेटरी के साथ बैठ कर स्पॉट डिमीजन लीजिए, लेकिन बार-बार उसमें क्वेरी मत निकालिए।

दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा, उपसभाध्यक्ष महोदय, यह वेस्ट लेण्ड डवलपमेंट बोर्ड आपने बनाया। देश में फालतू जमीन की कोई कमी नहीं है और वेस्ट लेण्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाकर आपने वन की संपत्ति बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन वेस्ट लेण्ड डवलपमेंट बोर्ड का काम किसी भी प्रांत में अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से आपने अभी तक शायद इसकी पूरी कार्यकारिणी भी डिकलेयर नहीं की है, पूरे मेंबर भी नियुक्त नहीं किए हैं। इस प्रकार से यह बोर्ड का काम चलेगा तो आप वनों में उपज कैसे बढ़ाएंगे, फालतू जमीन पर जंगल कैसे बढ़ाएंगे। मेरी

विनती है कि वेस्ट लेण्ड बोर्ड का काम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मंत्री महोदय ध्यान दें।... (व्यावधान)...

इसके बाद वन मंत्री जी से मैं विनती करूंगा कि महाराष्ट्र में, जो हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र का एरिया है, वहां एरिगेशन के प्रोजेक्ट काफी बड़े हैं। उपाध्यक्ष जी, जैसा आप जानते ही हैं वहां पर गन्ने की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है, आपने वहां पर गन्ने की जमीन के उपर एफोरस्टेशन का काम लिया है। वहां बड़ी तादात में आपकी जो अर्लीग्रोथिंग बेराईटी हैं, वह लगाई जा रही हैं। वहां मंत्री जी एक बार आकर विजिट करें, उन सब लोगों का कहना है कि यह जो टीकबुड के झाड़ लगाए जा रहे हैं, जो चालीस साल में तैयार होते हैं अगर यह फटिलाजर के साथ, एरिगेशन के साथ, जैसे कि हम खेती की जमीन तैयार करते हैं, उसी तरह तैयार करें तो बीस साल में हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। उन्होंने हिसाब लगाया है, एक एकड़ में कितना पानी लगेगा, कितना फटिलाइजर लगेगा, बीस साल में कुल कितना लगेगा और उससे कितना उत्पन्न होगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं और बड़ी तादात में खेती की जमीन पर जंगल का काम शुरू हुआ है। मेरी विनती है कि हम धरती के उपर, हर प्रांत में, जहां भी प्राइवेट व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से खेती की जमीन पर जंगल लगाना चाहते हैं, उन्हें केन्द्र सरकार की ओर से कुछ न कुछ सुविधा, कुछ न कुछ सबमिडी, कुछ न कुछ इनसेटिव अवश्य

[श्री नरेश सी० पुगलिया] : ...
 देना चाहिए। आशा करता हूँ हमारे
 वन मंत्री महोदय मेरी इस बात से जरूर
 सहमत होंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पो-
 र्टेंट चीज है, इसलिए पांच-मात मिनट
 और आप मुझे दें, और अधिक समय लगा
 तो जो मेरे साथी हैं, उनका समय ले लूंगा।
 अगला मेरा कहना है कि यह दो एकड़,
 चार एकड़, पांच एकड़ में एपलायमेंट
 गारंटी स्कीम के अंतर्गत छोटे-छोटे काम
 महाराष्ट्र में हो रहे थे, यह बंद हो
 गए हैं, विलेज लैंड के भी बंद हो गए
 हैं। मेरी आपसे विनती है कि दो
 हेक्टेयर तक अगर एरिगेशन प्रोजेक्ट
 आता है और उसके बंदने राज्य सरकार
 दूसरी दो हेक्टेयर जमीन दे देती है
 तो वह होना चाहिए। यह चीज केन्द्र
 सरकार के पास न आने के बजाय वहीं
 राज्य सरकार को दो हेक्टेयर तक पावर
 दे देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है, छोटे
 तालाबों का विकास करने के लिए,
 विलेज लेण्ड का विकास करने के लिए
 दो हेक्टेयर तक जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उसके
 लिए राज्य सरकार को मौका अवश्य देंगे।

उप सभाध्यक्ष महोदय, कंजरवेशन एक्ट
 लाने के बाद आज नौबत ऐसी है कि
 पहले जो किसान को जंगल से दो बण्डी,
 चार बण्डी लकड़ी लाने की इजाजत थी,
 आज वह बंद कर दी गई है और अगर
 किसी के घर में कोई डेथ हो जाय तो
 उसे जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती।
 आपने यह एक्ट लाया है तो कम से कम
 अरबन एरिया में लकड़ी के डिपो बनाइए
 ताकि डिपो से घर के काम के लिए या
 दूसरे काम के लिए वे लकड़ी ला सकें।
 खासकर के गावों में, हर गांव में जैसे

चराई के लिए जमीन रिजर्व रखी है,
 उसी प्रकार से इनके खाना बनाने की
 जो मेन चीज है, फ्यूल है, वह लकड़ी-
 कोयला है, उसके लिए आप कम से कम
 दस-बीस एकड़ का एक पट्टा रिजर्व
 रखिए और उसमें अर्लीग्रोईंग
 बेरायटी लगानी चाहिए। उपाध्यक्ष
 महोदय, आज हर जगह गैस नहीं है,
 मैं मानता हूँ बंबई में हर घर में गैस की
 बात होगी, लेकिन बंबई जैसे शहर में भी
 आज लोग लकड़ी, कोयले का उपयोग
 करते हैं, तो छोटे शहरों में, गांवों में
 लोगों से अपेक्षा करना कि गैस लेकर काम
 चलाएं, कैसे संभव है, अगर वे लोग
 जलाऊ लकड़ी की मांग करते हैं तो
 उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है
 इस पर भी आपको ध्यान देना होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जंगल के अंदर
 जो चारा होता है, जो घान होती है,
 जो जानवरों के लिए उपयोगी है,
 झीपड़ियों के उपर लगाने की आवश्यकता
 है, उस पर आपने वर्दिन लगा दी है
 और जितने भी लकड़ी के औजार हैं,
 जो लकड़ी से बनते हैं, उसको भी आपने
 बंद कर दिया है।

जंगल से काटकर वह ला नहीं सकता
 ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं,
 लेकिन उसे खेती का सामान बनाने के
 लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी—
 बल्ली की आवश्यकता होगी, फावड़े
 के लिए आवश्यकता होगी। तो एक
 तरफ जब आप कानून लाते हैं तो दूसरी
 तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए
 कि उससे गरीब ग्रामीण जनता को,
 छोटी जनता को तकलीफ न हो। इस-
 लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप

इस प्रकार के डियो ग्रासी जात के जेते के काम के लिए, जलाउ लकड़ी के लिए बनाएं।

दूसरे चंद्रपुर और गढ़चिरोली जिले के जितने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए आपने सेक्रेटरी को महाराष्ट्र राज्य के चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करने के आप आदेश दें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे यहां फारेस्ट डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के काम पर आपने पाबंदी लगायी है, उसकी कटाई बंद कर दी है। इसका मैं स्वागत करना हूँ। लेकिन जिम वंग से उनका प्लांटेशन का काम होता चाहिए, वह नहीं हो रहा है। आपका स्टेट लेवल का जो फारेस्ट डिपार्टमेंट है, उसका सर्वायवल रेट क्या है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि उस में राज्य शासन करोड़ों रुपए इनवेस्ट कर रहा है, लेकिन सर्वायवल नहीं होता है। वोगस अंकड़े दे दिए जाते हैं। इसे आपको सक्ती से देखने की जरूरत है।

दूसरे, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी फारेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज बहुत हैं खासकर मेरे जिले में बल्लारपुर पेपर मिल है, इंडियन प्लाथवुड का प्लाथवुड कारखाना है और तीन-तीन पेपर मिल हैं। पेपर मिल में लगने वाला बंबू रहे या इंडियन प्लाथवुड में लगने वाला टीकवुड रहे, हिंदुस्तान में फारेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज जितनी हैं, उसमें आपने प्रोविजन किया है कि वह वेस्ट लैंड में हैं, सरकारी जमीन में हैं या रेलवे या रोड के किनारे की जमीन है, उसके उपर प्लांटेशन की परमीशन आप देंगे। लेकिन जमीन के लिए अगर कोई प्रपोजल देता है तो

वेस्टल फारेस्ट डिपार्टमेंट साल-साल, छः-छः महीने उसको नहीं देखता है। इस तरह सारे हिंदुस्तान में जितनी फारेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज हैं, उनमें आज से 5-10 साल बाद वहां पर काम करने वाले कामगारों की कटौती की नीयत आएगी। हमारे यहां बल्लारपुर पेपर मिल में 8 हजार कामगार काम कर रहे हैं, रा-मटेरियल न मिलने की वजह से उनकी कटौती की नीयत आगयी है। इंडियन प्लाथवुड में 1100 कामगार काम कर रहे हैं, उन्हें बंबू नहीं मिल रहा है और उनका कहना है कि हम फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। इस प्रकार से भविष्य में यदि फारेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो एक तो हमें फारेस्ट प्रोड्यूस नहीं मिलेंगे और दूसरे कामगार बेकार हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बेकार सरकारी जमीन है वह फारेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज को दी जाय। उनके साथ लांग टर्म एग्रीमेंट किया जाए। हमारे यहां बल्लारपुर पेपर-मिल 16 रुपये टन बंबू लेती थी। उस समय 1978 में मैं विधानसभा का सदस्य था और हमने आवाज उठायी थी कि आ किसानों और दूसरे लोगों से लकड़ी और बंबू की कितनी कीमत लेते हैं और पेपर मिल 16 रुपये टन लेती है। जहां एक नया पैसा बंबू की कीमत नहीं लगती है और बंबू पर काम करने वाला एक छोटा आदमी जो उसने टोकनी और दूसरी चीज बनाता है, तो यह कोई हमारे रिश्तेदार हैं। तब सरकार ने 16 से बढ़ा कर दो मो हार टन किया। वह भाव भी हिसाब से कम है। उसके उपर उन्होंने स्टे लिया है और वह पिछले पांच साल से पुरानी रायल्टी के उपर

— [श्री नरेश सी० पुगलिया]

चल रहा है। इस प्रकार मे अगर फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज सरकार की आंख में धूल झांकनी है तो उनके लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य सरकारों को सख्त आदेश देने चाहिए। उनके रा मटेरियल की व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मिट्टी के मोल माल लेता है और सरकार के पैमे का दुरुपयोग करता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

महोदय, मरी वन मंत्रीजी मे खाम-कर विनती है कि आप राज्य स्तर पर मीटिंग करवाकर जो भी प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं, उन्हें करवाइए मैं उम्मीद करता हू कि अगर आपने बेस्ड लैंड डवलपमेंट बोर्ड को एक्टिव किया, फारेस्ट डवलपमेंट कारपोरेशन को एक्टिव किया, रीजनल फारेस्ट डिपार्टमेंट को एक्टिव किया तो इस देश में वनों के निर्माण में भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी और आज हम जिस समस्या से घिरे हुए हैं, कहीं पर्यावरण की समस्या है, कहीं बारिश ज्यादा होती है और कहीं अकाल पड़ जाता है, यह सब जो आज हो रहा है यह नहीं होगा।

वनों के निर्माण के लिए जो आपने यह कंजर्वेशन एक्ट लाया है, इसका मैं तत्प्रेक्षित से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वन मंत्रीजी मेरे सुझाव पर गंभीरता से विचार करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Jagesh Desai) : Because you are from a forest area, he will definitely look into it.

विकल जी आप थोड़े से मैं समाप्त कीजिए क्योंकि बहुत लोगों का नाम है, बासुमतारी जी का है, मट्टु साहब का है।

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) :

उपसभाध्यक्ष महोदय,

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI (Assam) : Sir, I want to know whether my name is there.

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपका भी नाम है, उसके बाद मट्टु साहब हैं।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra) : What happened to my name, Sir ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप का नाम है, विनामाई का नाम है, बहुत से वीनो वाले हैं।

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष महोदय, सन् 1980 के वन संरक्षण विधेयक में जो संशोधन माननीय मंत्री जी लाए हैं मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। पर मैं कुछ सुझाव देने देना चाहता हूँ जो प्रैक्टिकल हैं। हमारे गांव में एक कहावत है—सौ साल अती, सौ साल बनी। जमीन कुश्मती तौर पर सौ साल जंगलों में ब्रजन जाती है सौ साल हाले की तोर पर आ जाती है। आज जमीन हाले की तोर पर है। आज जमीन पर कच्चा जाईस्ती चाहे, आबादी की हो, चाहे जंगल की हो, लोग करने रहते हैं और उसमे अधिकारी अगर मिल जाते है तां कुछ जमादनी और हो जाती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, फारेस्ट की जमीन, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एक तिहाई होनी चाहिए पर हमारे यहां यू.पी. में तो 16 फीसदी बताई जाती है। अधिकारी कभी-कभी फारेस्ट उपजाऊ जमीन को गैर उपजाऊ जमीन में ट्रांसफर करने का सुझाव दे देते है। मैं भुगत-भोगी हूँ, मेरे पास भी महकमा रह है वन का। मैंने जब

इसकी जांच की तो समझ में ही नहीं आता कि इसको क्यों बदलना चाहते हैं। बेकार की जमीन अफसरों में भिन्न कर बदल लेते हैं, यह नहीं होता चाहिए। दूसरे, भूमि संरक्षण के नाम से मेरे पास एक बार वकेवर कालेज, इटावा की जमीन का बड़ा भारी नक्शा आ गया और कहा गया कि वकेवर कालेज में भूमि संरक्षण की ट्रेनिंग होनी है, जब उसकी जांच करवाई तो न कोई टीचर, न कोई स्टूडेंट, न कोई क्लास लेकिन चार सौ एकड़ भूमि लेने के लिए प्रिंसिपल ने मिल-मिलाकर अफसरों से दे दिया मुझाब। मेरे जमाने में तो तराई जमीन में सौ पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर्स आकर पड़ गए तराई पर लेकिन एक इंच जमीन मैंने नहीं दी। आन्दोलन हुए, सब कुछ हुआ, मैंने सीधा कह दिया कि अब्बल तो जमीन देने का केबिनेट का फैसला नहीं है और देने भी लगे तो जिस जिने का कोई रहने वाला है उसको दंगा। तो जो सारी पार्टिज के लोग जमा हो गए थे अपने आप हट गए वहां से।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी विभागों के नाम से जमीनों को लेकर के दुरुपयोग करते हैं। मुझे मालूम है हरिद्वार से देहरादून सड़क का एक मामला था। हमने तो नहीं दो जमीन, पता नहीं कहां से जंगल के बीच से सड़क निकाल दी। तो बहुत सी जमीन बचाई जा सकती है विभागों के नाम से। जिस सिंचाई की योजना के बारे में अभी एक सदस्य कह रहे थे। मैं हामी हूं कि सिंचाई योजनाओं के लिए जमीन की जरूरत पड़े तो दे देनी चाहिए, लेकिन बहुत सी जमीनों का दुरुपयोग करने के

लिए महकमों में कम्पीटीशन है। बहुत सी जमीन लेकर के डाल दी किसी भी काम में, किसी विभाग के नाम से चाहे किसी व्यक्ति के नाम से। मुझे एक केस याद है दिल्ली की जमीन का, वह तो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन बहुत सख्ती से उन्होंने आदेश दिया कि यह दिल्ली का एक फरेस्ट बना हुआ है अगर यह फारेस्ट ले लिया तो कोई योजना नहीं। अब पता नहीं पेट्रोल पंप कहां से घुसकर बन रहे हैं। दिल्ली में जो फारेस्ट की जमीन बच रही है उस पर पेट्रोल पंप बन जाएगा, किसी का होटल खुल जाएगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, सारी फारेस्ट की जमीन को जो शहर की जमीन होगी यहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो बहुत बन सकते हैं और उनको कोई छेड़ नहीं सकता। अधाधुन्य फारेस्ट की जमीनों पर यह बन रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रीन पार्क छोड़े जाते हैं, जो नई कालोनियां बन रही हैं, नए शहर बसाए जा रहे हैं। ग्रीन पार्क पर कैसे कब्जे हो जाते हैं किसी भी संस्था के नाम से? यह चीजें ऐसी मैं आपको बता रहा हूं कि कानून होने हुए भी कैसे उसका पालन नहीं होता। कानून दोधारी तलवार है। उसका सदुपयोग होगा तो कानून अच्छा है, दुरुपयोग होगा तो उसका बुरा फल भी होता है। बुरा फल ज्यादा आ रहा है कानून से। कानून तोड़ने वालों को उससे आनन्द मिलता है और उनके साथ अगर सरकारी अधिकारी मिल जाएं तो उनका तो बड़ा फायदा होता है। मैं उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि फारेस्ट की जमीन जो है, चाहे

[श्री रामचन्द्र बिरुन]

वह पंचायती फारेस्ट हो, चाहे रिजर्व फारेस्ट हो, आप एक योजना मोच सकते हैं। रिसर्व इन्स्टीट्यूट हमारा देहरादून में बना हुआ है जिससे गैर उपजाऊ जमीनों में से, जैसे राजस्थान के भाई शिकायत कर रहे थे। हमारे यहां मुबबूल नाम का पौधा उगाया गया है जो लकड़ी के काम भी आता है और चारे के लिए भी काम आता है। ऐसे रिसर्व इन्स्टीट्यूट हमारे यहां देहरादून और बहुत सी दूसरी जगहों में हैं जहां रिसर्व का काम करके फारेस्ट लगवाए जा सकते हैं जिनका लकड़ी के लिए भी उपयोग हो और चारे के लिए भी हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सड़कों और रेल पटरियों के किनारे पेड़ लगाने की गुरुआत स्वर्गीय श्री संजय गांधी ने की थी। वे किसी सत्ता में नहीं थे, लेकिन उनके कहने से रात दिन क्यों पेड़ लगने लगे? मुझे सड़कों पर गुजरते हुए उनकी याद आती है कि ये पेड़ उनकी बदौलत हैं। आज हमारे यहां वन महोत्सव की स्कीमें हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे देश का आंकड़ों में ज्यादा विश्वास है और हम वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। आप रेल पटरियों के किनारे, नदियों के किनारे और सड़कों के किनारे पेड़ लगवा सकते हैं। जहाँ वहाँ गजदीक के खेत का मालिक है, छोटा किसान है उसमें भी आप कह सकते हैं कि वह जो पेड़ लगाएगा उसकी लकड़ी उसी की होगी तो बहुत सारे पेड़ बिना सरकारी सहायता के भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस ओर कोई सोचने वाला नहीं है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि यहां ताजमहल पर कोयला आ जाएगा, इस प्रकार की आशंकाएं करके फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मथुरा के बहुत से उद्योग बंद करा दिए गए। अगर आप इंडस्ट्री लगवाते हैं तो क्यों नहीं आप उसके लिए ऐसी मशीन लगवाते जो धुआं ऊंचे आकाश में छोड़ सके। बुलंदशहर के शिवपुरी के लोग एक बार मेरे पास आए जब वहां एक मिल लगी। मैं उस मामले को यू.पी. एसेम्बली में ले गया और वहां हमने एक मशीन लगवा दी जिस पर दो लाख रुपया खर्चा हुआ। जो आप पहले उद्योगों को लगने देते हैं फिर उनको बंद कराते हैं। तो या तो आप उद्योग ऐसी जगह लगाइए जहां आबादी न हो। नहीं तो आज दिल्ली में इंडस्ट्रीज भी लगती जाती हैं और आप उनको अपराधी भी बनाते जाओगे। तो आप अपराध की जड़ को रोकिए। अगर अपराध ही नहीं होगा तो कानून की क्या आवश्यकता है। पहले आप इंडस्ट्री लगने दोगे फिर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाएं। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाइए। हमारे यहां कभी कभी गांव समाज की जमीन को फारेस्ट को दे दिया जाता है और वे पंचायत को लाइन से सटाकर तार खींच देते हैं। इसमें गांव की बहू-बेटियों को शोच आदि के लिए जाने में भारी परेशानी होती है। ऐसे ही पशुओं को चराने के लिए काफी दिक्कतें होती हैं और आप फिर उनको परेशान करते हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि लकड़ी के लिए जंगल चाहिए। मैं लकड़ी के लिए तो नहीं कहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ

कि बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिसको मवेशी नहीं खाते। तो मवेशियों को जंगल में चरने की इजाजत होने चाहिए। आप कानून के अंदर उनको इसके लिए जुर्माना कर देते हैं।

इसी प्रकार से कुछ जंगली जाति के लोग हैं जैसे हिमाचल प्रदेश में, काश्मीर में, उत्तर प्रदेश आदि में और उनका पेशा ही यह रहा है कि मवेशियों को चराकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनको भी आपके कानून परेशान करते हैं। वे जिस तरह से रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए और उनकी जीवन चर्या को आप बिगाड़ें नहीं। उनको आप वहीं रहने दें और वह जमीन उनको ही दे दें।

और अधिक न कहते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि इसके उपयोग में कोई कमी हो तो चहरे राज्य सरकार हो या आप हों मिल जुलकर इसको सही रूप में लागू करें तभी यह कानून कारगर सिद्ध हो सकता है।

धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Now, the House stands adjourned for lunch and will meet at 2.30 p.m.

The house then adjourned for lunch at twenty-nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock. The Vice-Chairman, (Shri Jagesh Desai) in the Chair.

FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 1987—Cont.

SHRI GHULAM RASOOL MATTOO (Jammu and Kashmir) : Mr. Vice-Chair

man, Sir, I rise to support the forest (Conservation) Amendment Bill, 1987 and I wish to make certain observations for the kind consideration of the hon. Minister.

We had passed the forest (Conservation) Act, 1980 and as I have been able to understand this Act, there are two main aspects. One is in connection with the clearance of projects, be they thermal projects or hydel projects or other projects for which the sanction of the Central Government is necessary. But right now—perhaps this is my understanding of the Bill—We are only concerned with those areas where forests have been cut and deforestation has been done and land has been allotted to certain projects. This is being regulated by this Bill, if I am right in understanding this aspect of it. May I know from the hon. Minister—since the Act was promulgated in 1980—Whether he has any figures in hand as to how many State Governments have actually asked for permission under this Act from the Central Government for allotment of land to certain individuals or agency whatever is provided under section 2?

If he has figures ready at hand, he may kindly enlighten me because that alone is the index by which it can be known to us whether this Act is being implemented in letter and spirit. So far as my experience is concerned, I find that apart from leasing out to companies, even individuals have started encroaching on these de-forested lands. What they do is, in Kashmir, I have seen myself particularly in the river Sindh belt, on the roadside of the forest, wherever the forests are being cut, legally or illegally, people start erecting two poles. After levelling a little ground, they erect two poles. After some time, we find that they have erected something and in no time, they have started forming what they call "Dokas". They are small huts. Does the formation of such huts also come under the purview of the Act or not? If it does, I may say a flagrant violation of this is be-